



BIJNOR POLICE



माह अक्टूबर - 2024

बिजनौर पुलिस द्वारा "ऑपरेशन स्माईल" अभियान के अन्तर्गत माह अक्टूबर में

कुल – 45 गुमशुदा एवं अपहृताओं को बरामद किया गया –

बिजनौर पुलिस द्वारा चलाये जा रहे अभियान "ऑपरेशन स्माईल" के अन्तर्गत माह अक्टूबर में कुल – 45 गुमशुदा एवं अपहृताओं को सकुशल बरामद कर अग्रिम विधिक कार्यवाही की गयी है। इस अभियान के अन्तर्गत जनपद के सभी थानों पर पुलिस टीमों का गठन कर गुमशुदा एवं अपहृताओं/अपहृतों की बरामदगी हेतु लगाया गया था, जिनके द्वारा गुमशुदा एवं अपहृताओं/अपहृतों को सकुशल बरामद किया गया है।

क्र०सं०	थाना	मु०अ०सं०	धारा
1	कोतवाली शहर	971 / 24	137(2) बीएनएस
2	कोतवाली शहर	719 / 24	87 बीएनएस
3	कोतवाली शहर	952 / 24	87 बीएनएस
4	कोतवाली शहर	980 / 24	87 बीएनएस
5	हल्दौर	292 / 24	87 बीएनएस
6	मण्डावर	267 / 24	137(2) बीएनएस
7	मण्डावर	259 / 24	137(2) बीएनएस वृद्धि धारा 127(2) 351(2) बीएनएस

8	मण्डावर	265 / 24	137(2) बीएनएस
9	नजीबाबाद	499 / 24	137(2) बीएनएस
10	नजीबाबाद	514 / 24	87 बीएनएस
11	नजीबाबाद	536 / 24	87 बीएनएस
12	किरतपुर	392 / 24	87 बीएनएस
13	किरतपुर	393 / 24	87 बीएनएस
14	किरतपुर	368 / 24	87 बीएनएस
15	नांगल	159 / 24	87, 115(2), 352 बीएनएस
16	चांदपुर	532 / 24	87 बीएनएस
17	चांदपुर	553 / 24	137(2) बीएनएस
18	चांदपुर	335 / 24	366 भादवि
19	नूरपुर	388 / 24	87 बीएनएस
20	नूरपुर	346 / 24	137(2) बीएनएस
21	नूरपुर	374 / 24	87 बीएनएस
22	नूरपुर	378 / 24	137(2), 65(1) बीएनएस व 3 / 4(2) पोक्सो एक्ट
23	हीमपुर दीपा	161 / 24	87 बीएनएस
24	शिवाला कलां	128 / 24	137(2), 87 बीएनएस
25	कोतवाली देहात	220 / 24	87 बीएनएस
26	बढापुर	189 / 24	137(2) बीएनएस
27	बढापुर	187 / 24	137(2) बीएनएस
28	बढापुर	214 / 24	137(2) बीएनएस
29	बढापुर	200 / 24	87 बीएनएस
30	नगीना देहात	192 / 24	137 (2) बीएनएस
31	नगीना देहात	221 / 24	87 बीएनएस
32	धामपुर	330 / 24	87 बीएनएस
33	धामपुर	477 / 24	87 बीएनएस
34	धामपुर	453 / 24	137(2) बीएनएस
35	धामपुर	478 / 24	87 बीएनएस

36	धामपुर	466 / 24	137(2) बीएनएस
37	स्योहारा	499 / 24	87, 61(2) बीएनएस
38	स्योहारा	447 / 24	87 बीएनएस
39	स्योहारा	482 / 24	87, 61(2) बीएनएस
40	नहतौर	304 / 24	87 बीएनएस
41	अफजलगढ	321 / 24	137(2) बीएनएस
42	अफजलगढ	327 / 24	137 (2) बीएनएस
43	शेरकोट	192 / 24	87 बीएनएस
44	शेरकोट	200 / 24	87 बीएनएस
45	रेहड	119 / 24	137(2), 87 बीएनएस





जनपद बिजनौर

प्रेस नोट – थाना चांदपुर

दिनांक – 31.10.2024

थाना चांदपुर पुलिस ने जिलाबदर अभियुक्त को किया गिरफ्तार।

कार्यवाही का विवरण –

दिनांक 31.10.2024 को थाना चांदपुर पुलिस द्वारा मुखबिर की सूचना के आधार पर जिलाबदर अभियुक्त लवी उर्फ लवनीश पुत्र लेखराज निवासी ग्राम स्याऊ थाना चांदपुर जनपद बिजनौर को जनपद की सीमा में पाये जाने पर गिरफ्तार किया गया। इस सम्बंध में थाना चांदपुर पर मु0अ0सं0 254/2024 धारा 10 गुण्डा अधि0 बनाम लवी उर्फ लवनीश उपरोक्त पंजीकृत किया गया। अग्रिम विधिक कार्यवाही प्रचलित है।



गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता –

लवी उर्फ लवनीश पुत्र लेखराज निवासी ग्राम स्याऊ थाना चांदपुर जनपद बिजनौर

अभियुक्त उपरोक्त का आपराधिक इतिहास –

1. मु0अ0सं0 254/2024 धारा 10 गुण्डा अधि0 थाना चांदपुर बिजनौर।
2. मु0अ0सं0 17/2022 धारा 3(2)(V) अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति अधि0 1989, 363,376 भादवि0 व ¾ पोकसो एक्ट थाना चांदपुर बिजनौर।
3. मु0अ0सं0 35/2024 धारा 379,411 भादवि0 थाना चांदपुर बिजनौर।
4. मु0अ0सं0 36/2024 धारा 379,411 भादवि0 थाना चांदपुर बिजनौर।
5. मु0अ0सं0 37/2024 धारा 414,420 भादवि0 थाना चांदपुर बिजनौर।
6. मु0अ0सं0 197/2021 धारा 3/25 आर्मस एक्ट थाना चांदपुर बिजनौर।
7. मु0अ0सं0 391/2023 धारा 307,201 भादवि0 थाना चांदपुर बिजनौर।
8. मु0अ0सं0 717/2021 धारा 3/25 आर्मस एक्ट थाना चांदपुर बिजनौर।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम –

1. उ0नि0 जुगेन्द्र तेवतिया थाना चांदपुर जनपद बिजनौर
2. का0 668 राजकुमार थाना चांदपुर जनपद बिजनौर



जनपद बिजनौर

प्रेस नोट:- थाना स्योहारा

दिनांक- 31.10.2024

थाना स्योहारा पुलिस द्वारा वारंटी अभियुक्त को किया गिरफ्तार ।

कार्यवाही:-

जनपद में अपराध की रोकथाम व वांछित/वारंटी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में थाना स्योहारा पुलिस द्वारा वारंटी अभियुक्त नदीम पुत्र यामीन निवासी ग्राम मेवाजट थाना स्योहारा जनपद बिजनौर को गिरफ्तार किया गया । विधिक कार्यवाही प्रचलित है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता:-

नदीम पुत्र यामीन निवासी ग्राम मेवाजट थाना स्योहारा जनपद बिजनौर ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम का विवरण:-

- 1.उ0नि0 यशदेव शर्मा थाना स्योहारा जनपद बिजनौर ।
- 2.आरक्षी सौरभ कुमार थाना स्योहारा जनपद बिजनौर ।





जनपद बिजनौर
प्रेस नोट – थाना नूरपुर

दिनांक – 31.10.2024

थाना नूरपुर पुलिस ने ट्यूबवेल से स्टार्टर व तार चोरी की 03 घटनाओं में वांछित अभियुक्त को किया गिरफ्तार ।

संक्षिप्त विवरण –

दिनांक 12.10.2024 को वादी श्री कपिल कुमार पुत्र विपिन कुमार निवासी ग्राम हसनपुर थाना नूरपुर जनपद बिजनौर ने थाना नूरपुर पर तहरीर दी कि वादी तथा वादी के 03 पडोसीगण की ट्यूबवेल से अज्ञात चोर द्वारा स्टार्टर व ट्यूबवेल का तार चोरी कर लिया गया। तहरीर के आधार पर थाना नूरपुर पर मु0अ0सं0 400/24 धारा 303(2) बीएनएस बनाम अज्ञात पंजीकृत किया गया।

दिनांक 12.10.2024 को ही वादी श्री जावेश कुमार पुत्र राजपाल सिंह निवासी ग्राम अस्करीपुर थाना नूरपुर जनपद बिजनौर ने थाना नूरपुर पर तहरीर दी कि अज्ञात चोर द्वारा रात्रि के समय वादी तथा वादी के खेत के पडोसी कुल 08 किसानों की ट्यूबवेल से स्टार्टर व तार की चोरी की गई। प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना नूरपुर पर मु0अ0सं0 401/24 धारा 303(2) बीएनएस बनाम अज्ञात पंजीकृत किया गया।

दिनांक 14.10.2024 को वादी श्री करन सिंह पुत्र चिरंजी सिंह निवासी ग्राम बाखराबाद खटाई थाना नूरपुर जनपद बिजनौर ने थाना नूरपुर पर तहरीर दी कि वादी सहित 03 लोगों की खेत में लगी ट्यूबवेल से अज्ञात चोर द्वारा स्टार्टर व केबल तार की चोरी की गई। तहरीर के आधार पर थाना नूरपुर पर मु0अ0सं0 404/24 धारा 303(2)/324(4) बीएनएस बनाम अज्ञात पंजीकृत किया गया।

उपरोक्त अभियोगों की विवेचनात्मक कार्यवाही के दौरान 03 अभियुक्तगण 1.अजीम उर्फ भूरे पुत्र शमीम निवासी ग्राम मोर मिलक थाना शिवाला कला जनपद बिजनौर 2.हारुन पुत्र जमशेद निवासी ग्राम मोर मिलक थाना शिवाला कला जनपद बिजनौर 3.राशिद पुत्र छिद्दा निवासी ग्राम नानक नंगली उर्फ नगलिया थाना नोगांवा सादात जनपद अमरोहा का नाम प्रकाश में आया। स्थानीय पुलिस द्वारा अभियुक्तगण 1.अजीम व 2.हारुन को पूर्व में ही चोरी किये गये स्टार्टर, तार आदि सहित गिरफ्तार किया जा चुका है।

कार्यवाही –

आज दिनांक 31.10.2024 को थाना नूरपुर पुलिस द्वारा उपरोक्त अभियोगों में वांछित अभियुक्त राशिद पुत्र छिद्दा निवासी ग्राम नानक नंगली उर्फ नगलिया थाना नोगांवा सादात जनपद अमरोहा को गिरफ्तार किया गया। अग्रिम कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता –

राशिद पुत्र छिद्दा निवासी ग्राम नानक नंगली उर्फ नगलिया थाना नोगांवा सादात जनपद अमरोहा

अभियुक्त का आपराधिक इतिहास –

- 1.मु0अ0सं0 539/21 धारा 379/411 भादवि थाना स्योहारा जनपद बिजनौर
- 2.मु0अ0सं0 400/24 धारा 303(2)/317(2) बीएनएस थाना नूरपुर जनपद बिजनौर
- 3.मु0अ0सं0 401/24 धारा 303(2)/317(2) बीएनएस थाना नूरपुर जनपद बिजनौर
- 4.मु0अ0सं0 404/24 धारा 303(2)/324(4)/317(2) बीएनएस थाना नूरपुर जनपद बिजनौर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम –

- 1.उ0नि0 श्री देवीप्रसाद गौतम थाना नूरपुर जनपद बिजनौर
- 2.उ0नि0 श्री रवि कुमार थाना नूरपुर जनपद बिजनौर
- 3.कां0 राहुल थाना नूरपुर जनपद बिजनौर
- 4.कां0 अंकित कुमार थाना नूरपुर जनपद बिजनौर





जनपद बिजनौर

प्रेस नोट – थाना नगीना

दिनांक – 31.10.2024

थाना नगीना पुलिस ने पुलिस मुठभेड में शातिर पशु चोरों को चोरी किये गये 15 पशु (10 भैंस व 05 भैंस के बच्चे), एक महिन्द्रा पिक अप गाडी, नगदी व घटना में प्रयुक्त अवैध शस्त्र सहित किया गिरफ्तार। जनपद के विभिन्न थानों पर पंजीकृत 09 अभियोगों का अनावरण।

कार्यवाही का विवरण –

दिनांक 30.10.2024 को थाना नगीना पुलिस को मुखबिर ने सूचना दी कि पिछले कई महीनों से नगीना, कोतवाली देहात, धामपुर, नजीबाबाद, हल्दौर, किरतपुर व चांदपुर के आसपास के गांवों से पशुओं की चोरी करने वाले चोर उन चोरी किये गये पशुओं को धामपुर मोड के पास बाग मे इक्का किया हुआ है। पुलिस टीम द्वारा मौके पर पहुंचकर अभियुक्तों को गिरफ्तार करने का प्रयास किया गया तो अभियुक्तगण द्वारा पुलिस पार्टी पर जान से मारने की नियत से फायर कर दिया। पुलिस टीम द्वारा सूझबूझ से अपना बचाव करते हुए अभियुक्तगण 1.यूनुस पुत्र यूसुफ निवासी ग्राम बराही थाना हजरतनगर गढी जनपद सम्भल 2.जाबिर पुत्र जहीर आलम निवासी ग्राम मलगद्दा थाना मझौला जनपद मुरादाबाद को गिरफ्तार किया गया तथा अभियुक्तगण का एक अन्य साथी जंगल का फायदा उठाकर मौके से भाग गया। भागे हुए व्यक्ति का नाम पता पूछने पर अभियुक्तों ने उक्त व्यक्ति इसी गाडी का ड्राइवर है, जिसे हमने बुक किया था। अभियुक्तों के कब्जे से कुल 15 पशु जिनमे 10 भैंस व 05 भैंस के बच्चे, एक गाडी महिन्द्रा बुलेरो पिकअप रजि0सं0 UP21N1725 व एक तमंचा 12 बोर मय एक खोखा व एक जिन्दा कारतूस व ₹ 10,000 /- बरामद किये गये। इस सम्बंध मे थाना नगीना पर मु0अ0सं0 309/2024 धारा 109(1)/345(3)/336(2)/318(4)/317(2)/317(5)/111(2) बीएनएस व धारा 3/25 शस्त्र अधिनियम पंजीकृत किया गया। अग्रिम कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरण –

अभियुक्तगण से पूछताछ पर यह तथ्य प्रकाश में आये कि अभियुक्तगण ने एक संगठित गिरोह बना रखा है तथा इस गैंग का मुखिया 1.सदाम पुत्र दिलशाद निवासी ग्राम चमरौआ थाना मुँढापाण्डे जनपद मुरादाबाद है जो थाना मुँढापाण्डे का शातिर अपराधी है। इस गैंग मे सददाम का भाई 2.इरशाद व 3.यूनुस पुत्र यूसुफ निवासी ग्राम बराही थाना हजरतनगर गढी जनपद सम्भल एवं 4.जाबिर पुत्र जहीर आलम निवासी ग्राम मलगद्दा थाना मझौला जनपद मुरादाबाद शामिल है। इन सभी ने मिलकर अब से पांच दिन पहले थाना हल्दौर के गांव सल्लापुर से, करीब सवा महीने पहले कोतवाली देहात के पास ग्राम करोंदा पचदू व ग्राम महेश्वरी जट से, करीब 10 दिन पहले थाना धामपुर के ग्राम शेखपुरा पित्था व ग्राम मिलक मुकीमपुर से, करीब आठ दिन पहले थाना नगीना के ग्राम बघाला से व ग्राम सैदपुरी महिचन्द से पशु चोरी किये थे। इन चोरियों मे चोरी किये गयी पशुओं मे से कुल 10 भैंस व 05 भैंस के बच्चे बरामद किये गये हैं।

उल्लेखनीय है कि इनके द्वारा कुछ दिन पहले नजीबाबाद के ग्राम पूरनपुर गढी से पशु चुराये थे जिसको ये बेच चुके हैं तथा कस्बा किरतपुर से भैंसें चुरायी थी। पशु बेचकर हिस्से मे आये रुपयों मे से 10 हजार रुपये बरामद हुए हैं। इस प्रकार चोरी गये पशुओं मे से 10 भैंस व 05 बच्चे बरामद हुए हैं। थाना किरतपुर से संबंधित घटना मे चोरी किये गये पशुओं को बेचकर प्राप्त किये गये रुपयों मे से कुल 10,000 /-रुपये की बरामदगी हुई है तथा उपरोक्त अभियुक्तगण के नाम प्रकाश मे आये हैं।

गिरफ्तार अभियुक्तगण का नाम व पता –

- 1.यूनस पुत्र यूसुफ निवासी ग्राम बराही थाना हजरतनगर गढी जनपद सम्भल
- 2.जाबिर पुत्र जहीर आलम निवासी ग्राम मलगद्दा थाना मझौला जनपद मुरादाबाद

बरामदगी –

15 पशु (जिनमे 10 भैंस व 05 भैंस के बच्चे)

एक गाडी महिन्द्रा बुलेरो पिकअप

एक अवैध तमंचा 12 बोर मय एक खोखा कारतूस व एक जिन्दा कारतूस

नकदी 10,000 / - रुपये

अभियुक्त जाबिर हुसैन का आपराधिक इतिहास –

मु0अ0सं0 472/2017 धारा 323/354/427/452/504/506 भादवि थाना मझौला, जनपद मुरादाबाद

मु0अ0सं0 666/2020 धारा 147/323/452 भादवि थाना मझौला, जनपद मुरादाबाद

अनावरित अभियोगों का विवरण –

- 1.मु0अ0सं0 495/2024 धारा 305(ए) बी0एन0एस0 थाना धामपुर, जनपद बिजनौर
- 2.मु0अ0सं0 502/2024 धारा 331(4),305(ए) बी0एन0एस0 थाना धामपुर, जनपद बिजनौर
- 3.मु0अ0सं0 218/2024 धारा 303(2) बी0एन0एस0 थाना कोतवाली देहात, जनपद बिजनौर
- 4.मु0अ0सं0 225/2024 धारा 303(2) बी0एन0एस0 थाना कोतवाली देहात, जनपद बिजनौर
- 5.मु0अ0सं0 303/2024 धारा 305(ए) बी0एन0एस0 थाना नगीना, जनपद बिजनौर
- 6.मु0अ0सं0 288/2024 धारा 305(ए) बी0एन0एस0 थाना नगीना, जनपद बिजनौर
- 7.मु0अ0सं0 302/2024 धारा 305(ए) बी0एन0एस0 थाना हल्दौर, जनपद बिजनौर
- 8.मु0अ0सं0 424/2024 धारा 305(ए) बी0एन0एस0 थाना नजीबाबाद, जनपद बिजनौर
- 9.मु0अ0सं0 362/2024 धारा 305(ए) बी0एन0एस0 थाना किरतपुर, जनपद बिजनौर
- 10.मु0अ0सं0 309/2024 धारा 109(1),345(3),336(2),318(4),317(2),317(5),111(2) बी0एन0एस0 व धारा 3/25 शस्त्र अधिनियम थाना नगीना, जनपद बिजनौर ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम –

- 1.थानाध्यक्ष श्री हरिओम सिंह चौहान थाना नगीना जनपद बिजनौर
- 2.उ0नि0 श्री गजेन्द्र सिंह उज्ज्वल थाना नगीना जनपद बिजनौर
- 3.कां0 710 नेपालथाना नगीना जनपद बिजनौर
- 4.हे0कां0 730 विपिन कुमार थाना नगीना जनपद बिजनौर
- 5.कां0 1580 ललित कुमार थाना नगीना जनपद बिजनौर
- 6.कां0 1342 गौरव कुमार थाना नगीना जनपद बिजनौर
- 7.कां0 1910 संदीप कुमार थाना नगीना जनपद बिजनौर
- 8.कां0 209 आकाश वीर थाना नगीना जनपद बिजनौर
- 9.कां0 1101 कौशलेन्द्र प्रताप सिंह थाना नगीना जनपद बिजनौर